

01-June-2016 से Krishi Kalyan Cess 0.5 % लागु होने के कारण, सेवा कर 15% होने से राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायको / पर्यवेक्षकिय संवर्गों एवं समूह “ग” के कर्मियों को कंप्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क का पुनर्निर्धारण ।

---

सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (संपुष्टि के लिये कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली , 2011 आदेश सं०- 1609 दिनक 24-05-2011 द्वारा अधिसूचित किये जाने के आलोक में सुचना प्रावैधिकी विभाग , बिहार, पटना के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या -सह-पठित जापांक - 1285 दिनक 08-11-2011 के तहत , राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायको / पर्यवेक्षकिय संवर्गों एवं समूह “ग” के कर्मियों का कंप्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु NIELIT (Ex-DOEACC Society) को प्राधिकृत किया गया है तथा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है ।

दिनांक 1-June-2016 से केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व निर्धारित सेवा शुल्क 14.5% को 14.5%+ Krishi Kalyan Cess (0.5%)= 15% में परिवर्तित कर दिए जाने के फलस्वरूप प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है -

[क] प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क

Head	Value(Rs.) as on 15-Nov-2015	Value(Rs.) as on 01-June-2016
Total :-	5362/-	5386/-
Effective Change :-		24/-

[ख] प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना परीक्षा शुल्क

Head	Value(Rs.) as on 15-Nov-2015	Value(Rs.) as on 01-June-2016
Total :-	1145/-	1150/-
Effective Change :-		5/-

[ग] पुनः परीक्षा शुल्क

Head	Value(Rs.) as on 15-Nov-2015	Value(Rs.) as on 01-June-2016
Total :-	229/-	230/-
Effective Change :-		1/-

[घ] Conversion Mode - प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क

Head	Value(Rs.) as on 15-Nov-2015	Value(Rs.) as on 01-June-2016
Total :-	4377/-	4397/-
Effective Change :-		20/-

वर्णित स्थिति में दिनांक 01-June-2016 के प्रभाव से उपरोक्त कर्मियों को प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क नए दर से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में NIELIT PATNA CENTRE payable at PATNA में जमा करना होगा ।

आदेशानुसार

प्रभारी निदेशक